<u>न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।</u>

मूलवाद सं0—123/2016

सन्तराम बनाम बालकराम आदि

<u>08.03.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन हेतु नियत है। उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। उभय पक्षकारों से सुलह समझौता के बावत प्रयास किया गया, परन्तु पक्षकारों ने सुलह समझौता से इंकार किया। अतः उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं—

1. क्या वादी कृषि भूमि गाटा संख्या 53 रकवा 0.162 हे0 स्थित ग्राम सिम्हारा कासिमपुर, परगना कालपी, जिला जालौन, जिसे नक्शा नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है, का संक्रमणीय भूमिधर है?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या वाद में प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है?
5. क्या दावा वादी धारा 34 व 41 एस0आर0 एक्ट से बाधित है?
6. क्या प्रतिवादी विशेष हर्जा अर्न्तगत धारा 35ए सी0पी0सी0पाने का अधिकारी हैं?
7. क्या वादी वांछित या किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु न बनता है, न बनाये जाने पर बल दिया गया। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 व 3 दिनांक 04.05.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,
जनपद जालौन।